**भारत सरकार**

**वित्‍त मंत्रालय**

**राजस्‍व विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 256**

**(जिसका उत्‍तर मंगलवार, 01 दिसम्‍बर, 2015/10 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)**

**स्‍वच्‍छ भारत उपकर लगाया जाना**

**256. डॉ. कनवर दीप सिंह:**

 क्‍या **वित्‍त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या फिक्‍की और सीआईआई ने सरकार से ‘स्‍वच्‍छ भारत उपकर’ लगाने की तारीख को स्‍थगित करने के लिए आग्रह किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए उन्‍होंने क्‍या कारण बताए हैं; और

(ग) उनकी शिकायत, यदि कोई हो के समाधान के लिए प्रस्‍तावों का ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्‍तर**

**वित्‍त राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)**

(क) : जी, हां ।

(ख) : जो कारण दिए गए हैं उनमें सेनवेट क्रेडिट की अनुज्ञेयता, कर के पूर्व धारणात्‍मक मॉडल के अंतर्गत सेवा के मूल्‍य, कम की गई दर पर कर योग्‍य सेवाओं पर कर की लागू दर, समय की कमी, एकाउंटिंग कोड्स जैसे प्रक्रियात्‍मक पहलुओं के संबंध में स्‍पष्‍टता की कमी है।

(ग) : बहुत सारी शंकाओं का समाधान, अधिसूचनाओं को जारी करके कर दिया गया था जिनके साथ वेबसाइट [www.cbec.gov.in](http://www.cbec.gov.in) पर स्‍वच्‍छ भारत उपकर के बारे में एफएक्‍यू (फ्रिक्‍युएंटली आस्‍क्‍ड क्‍वेश्‍चन) भी डाले गए थे। इस पर उपयुक्‍त प्रेस विज्ञप्तियां भी जारी की गई थीं।

\*\*\*\*\*